कार्यालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

हेमलाल पासवान बनाम् राजेश पासवान वगैरह

विविध वाद संख्या....15........../2021-22

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आवेदक हेमलाल पासवान, पिता- स्व0 डिल्लो पासवान, साकिन- बागोडीह मोड़, टोला कोबडिया, थाना- सरिया, जिला- गिरिडीह द्वारा आवेदन समर्पित कर निम्नलिखित भूमि को द्वितीय पक्ष के सदस्यों द्वारा बाजबरन हड़पने की लगातार कोशिश कर रहे हैं जिसके कारण आवेदक द्वारा उक्त भूमि पर विविध वाद प्रारम्भ करने का अनुरोध किया गया है। आवेदन अभिलेख में संधारित है।

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
बड़की सरिया	44	200/497	19	1.60 एकड़

अतः उभय पक्षों को नोटिस नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 23.3.2022 को रखें।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बगोदर-सरिया।

... की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
23.3.22	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उप०। TO 6/4/22 (हस्ताक्षर) 23/3/22	
5/4/22	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदन दिया गया है कि द्वितीय पक्ष प्रक्रिया की भूमि का स्वरूप परिवर्तित किया जा रहा है, अतः इस कृत्य से उन्हें रोका जाये। आवेदन की प्रति थाना प्रभारी, खरिया को जाँच हेतु/आवश्यक कार्यवाई हेतु भेजें। अभिलेख निर्धारित तिथि को रखें। (हस्ताक्षर) 5/4/22	50 5/4/22
6.4.22	उभय पक्ष कालान्तर हाजिर। अभिलेख दिनांक 20.4.22 को रखें।	
20.4.22	उभय पक्ष उपस्थित। प्रथम पक्ष द्वारा आवेदन दाखिल किया गया है कि प्रश्नगत भूमि पर अंचल अधिकारी द्वारा मापी कराया जा रहा है। वाद के विचारण अवधि तक इसे रोका जाये। आवेदन की प्रति अंचल अधिकारी को भेजें।	पत्रांक 55 20.4.22

की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	द्वितीय पक्ष द्वारा लिखित अभिकथन एवं पर्द. सबूत के साथ कागजात दाखिल किया गया है। बहस हेतु 10/08/22 को रखें। [illegible]	
10/8/22	उभय पक्ष उपस्थित। प्रथम पक्ष के द्वारा कागजात दाखिल किया गया। उभय पक्ष को सुना। आदेशार्थ 12/08/22 को रखें। 10/08/22	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
10/03/22	आदेश हेतु अभिलेख उपस्थापित। प्रस्तुत वाद अंचल अधिकारी, सरिया के द्वारा ज्ञापांक - 115, दिनांक - 23/02/22 को निर्गत नोटिस को रद्द करने हेतु लाया गया है। आवेदक के अनुसार मौजा- कोड़की सरिया, थाना- सरिया में स्थित खाता सं0- 200/497, प्लाट सं0- 19, रकबा- 1.60 एकड़ भूमि उनके पूर्वज डिल्लो दुसाध को बजरिये हुकमनामा हासिल है। हुकमनामा भूतपूर्व जमींदार माधो राय से वर्ष 1939 को हासिल है। उक्त हुकमनामा के हासिल होने के पश्चात् आवेदक प्रस्तुत भूमि पर लगातार दखलकार रहे हैं तथा सरकार को लगान अदा करते आ रहे हैं। वर्तमान में तकरारी भूमि पर आवेदक का मकान, चाहरदिवारी, कुआँ आदि है। द्वितीय पक्ष के सरहकाण उक्त भूमि की नापी अपने पक्ष में करा कर कब्जा करना चाहते हैं। अंचल अधिकारी सरिया उक्त जमीन का मापी आदेश निर्गत किया गया है जो न्यायसंगत नहीं	

.श की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	है। अतः अंचल अधिकारी सरिया द्वारा निर्गत नापी नोटिस को निरस्त किया जाये। आवेदक द्वारा अपने दावे के समर्थन में निम्नांकित दस्तावेज दाखिल किया गया है – 1. भूतपूर्व जमींदार बाबू माधो राय द्वारा निर्गत हुकुमनामा की छाया प्रति, 2. कुल सात खाजसा रसीद की छाया प्रति। 3. पंजी-II की सत्यापित प्रति की छाया प्रति। 4. तीन सरकारी लगान रसीद सं०- 587774, 580300 एवं 394153 की छायाप्रति। 5. चौकीदारी रसीद की छाया प्रति। 6. बन्दोबस्त द्वारा लगान जमा करने का रसीद की छाया प्रति। 7. कूप निर्माण हेतु ऋण ~~[illegible]~~ स्वीकृति पत्र की छाया प्रति। 8. स्वत्व वाद सं०- 67/17 के आदेश / डिक्री की छाया प्रति।	

श की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	द्वितीय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अपना लिखित एवं मौखिक पक्ष रखा गया। द्वितीय पक्ष के अनुसार प्रश्नगत भूमि खाता सं०- 200/649, प्लाट नं. -17 भूतपूर्व जमींदार अक्षयबट राय तथा मो० विद्या कुमारी का गैर मजरुआ खास जमीन था। उस जमीन पर कोई विवाद नहीं है। उक्त जमींदार ने सम्वत् 1998 साल को खाता- 200/649, प्लाट सं०- 19, रकबा 2.40 एकड़ भूमि द्वितीय पक्ष के पूर्वज गुली दुसाध वल्द टिको दुसाध को बजरिये हुकमनामा बन्दोबस्त किया था। गुली दुसाध के वंशज उक्त जमीन पर शांतिपूर्वक दखलकार चले आ रहे हैं तथा सरकारी लगान अदा करते आ रहे हैं। प्रथम पक्ष जाली कागजात बनवा कर उक्त जमीन पर अपना दावा कर रहे हैं। द्वितीय पक्ष उक्त जमीन की मापी करवा कर अपनी जमीन को चिन्हित करवाना चाह रहे हैं। अतः अंचल अधिकारी सरिया द्वारा दिनांक- 23.02.22	

की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	को निर्गत मौरूसी विधि सम्पन्न है तथा प्रथम पक्ष का दावा खारिज करने योग्य है। द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में निम्नांकित दस्तावेज दाखिल किया गया है — 1. गुणीया डुलाप्त के पंजी-II की छाया प्रति। 2. सरकारी खजाना रसीद सं०- JH/20 A 089751 की छाया प्रति, सं०-323911 की छाया प्रति, सं०-719399 की छाया प्रति, सं०-522470 की छाया प्रति, सं०-322325 की छाया प्रति, सं०-406631 की छाया प्रति। 3. खासमहल रसीद सं०-144, सं०-1198, सं०-216, सं०-1588 की छाया प्रति जो अक्षयबट राय तथा पैदा कुमारी द्वारा निर्गत है। 4. अक्षयबर राय द्वारा सम्वत् 2000 में निर्गत सादा हुकमनामा की छाया प्रति। 5. अक्षयबर राय द्वारा सम्वत् 2004 में निर्गत सादा हुकमनामा की छाया प्रति।	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	उभय पक्ष के द्वारा दाखिल दस्तावेजों के अवलोकन एवं दलीलों से मैं निम्नांकित निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ :— (i) उभय पक्ष स्वादा हुक्मनामा के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर दावा कर रहे हैं। प्रथम पक्ष द्वारा भूतपूर्व जमींदार माधो राय द्वारा निर्गत हुक्मनामा तथा द्वितीय पक्ष के द्वारा अक्षयबट राय द्वारा निर्गत हुक्मनामा के आधार पर अपना दावा कर रहे हैं। प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल स्वत्व बंटवारा वाद सं०- 67/17 के अनुसार बंटवारा के पश्चात् 28/जुलाई/1923 तथा 20/सितम्बर/1923 के पुर्जा से अनुसार निम्न भूमि प्राप्त हुई थी : (क) माधो राय वगैरह को मौजा-सरिया कला में प्लाट-19 सहित अन्य भूमि प्राप्त हुई थी। (ख) अक्षयबट के राय के पिता मंगनी राय वगैरह को मौजा-सरिया कला में प्लाट-17 सहित अन्य भूमि प्राप्त हुई थी।	

श की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	द्वितीय पक्ष के द्वारा सम्वत् वर्ष 2000 एवं 2004 में निर्गत हुकमनामा अपने दावे का आधार बनाया है जबकि मार-19 अंगारी राय वर्ष0 को TS(P) द्वारा हासिल ही नहीं था। इस प्रकार उनके द्वारा तथाकथित निर्गत हुकमनामा जाली प्रतीत होता है। (ii) द्वितीय पक्ष के द्वारा दाखिल खाजना रसीद सं0-144, सं0-1198, सं0-216, खाता सं0-187 के लिये निर्गत हैं, जबकि खाता सं0-187 के सम्बन्ध में TS(P) सं0 67/17 कहा गया है कि खाता 187 माधो राय की हिस्से की है जो डिक्री के Allotment-I में अंकित है। इस प्रकार अक्षयबर राय को इस खाते की जमीन का लगान रसीद निर्गत करने का कोई हक/अधिकार नहीं था। (ii) द्वितीय पक्ष के द्वारा दाखिल हुकमनामा की प्रति में खाता दर्ज नहीं है। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आधारहीन कागजातों के आधार पर	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

द्वितीय पक्ष के रैयती/खतियानी भूमि की नापी करवाना चाह रहे हैं। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 75(1) में स्पष्ट कहा गया है कि

"75 Measurement of land —(1) Every landlord of an estate, tenure or Mundari Khunt Kattidari tenancy shall have a right to make a general survey or measurement of the land comprised in such estate tenure or tenancy, unless restrained from doing so by expressed engagement with the occupants of the lands."

अतः प्रथम पक्ष के दलील एवं दस्तावेज को सही मानते हुये अंचल अधिकारी सरिया द्वारा निर्गत नोटिस दिनांक - 23/02/22 को निरस्त किया जाता है।

उभय पक्ष तथा अंचल अधिकारी, सरिया को इस आदेश से अवगत

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

10/08/22
LRDC Bagodar
Suriya.

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2022.08.22 16:21:29 +05:30
Location: 192.168.1.12